रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2015/भाद्र 31, 1937
No. 24] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2015/BHADRA 31, 1937

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2015

संदर्भः **वर्ष 2014 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन में उत्तर प्रदेश राज्य के 57—कैसरगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री कृष्ण कुमार ओझा पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के अधीन आरोपित निरर्हता को हटाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत अपील ।**

आदेश

आ.अ. 35(अ).—यतः, लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2014 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में **57—कैसरगंज** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री कृष्ण कुमार ओझा** को आयोग के दिनांक 08.06.2015 के आदेश संख्या 76/उ0प्र0—लो0स0/2014 के द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन निरर्हित घोषित कर दिया गया था; तथा

यतः, आयोग के दिनांक 08.06.2015 के निरर्हता आदेश की प्राप्ति के पश्चात्, **श्री कृष्ण कुमार ओझा** ने दिनांक 29.06.2015 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि उन्होने अपना निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, गोण्डा को 04.10.2014 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भेजा था तथा अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने के साथ उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन उन पर आयोग के उपरोक्त आदेष द्वारा आरोपित निरर्हता को हटाने की अपील की तथा वैयक्तिक सुनवाई हेतु अनुरोध किया है; तथा

यतः, अपीलीय प्राधिकारी ने आयोग के सचिवालय में 04.08.2015 तथा 08.09.2015 को **श्री कृष्ण कुमार ओझा** की स्वयं सुनवाई की थी; और

यतः, **श्री कृष्ण कुमार ओझा** को सुनने के पश्चात् अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि उनके पास विधि द्वारा अपेक्षित रीति तथा समय—सीमा के अंदर लेखे को प्रस्तुत करने में असफल रहने का पर्याप्त कारण था; और

यतः, अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 08.06.2015 के उपरोक्त आदेश द्वारा उन पर आरोपित निरर्हता को रद्द करने का निर्णय लिया है, इसके अतिरिक्त उन्होंने इसे उक्त निर्हरता आदेश के निर्गत तिथि अर्थात दिनांक 08.06.2015 से रद्द करने का निर्णय लिया है; तथा

अब, अतः, आयोग के दिनांक 08.06.2015 के आदेश संख्या 76/उ0प्र0–लो0स0/2014 द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री कृष्ण कुमार ओझा** पर आरोपित निरर्हता को उक्त निर्हरता आदेश के निर्गत तिथि अर्थात् दिनांक 08.06.2015 से रद्द किया जाता है ।

[सं. 76/उ.प्र.–लो.सं./57/2014]

आदे'ा से,

आर. के. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 18th September, 2015

In re: Appeal under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) for removal of disqualification imposed under Section 10A of the said Act on Shri Krishna Kumar Ojha, a contesting candidate from 57-Kaiserganj Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh at the General Election to Lok Sabha held in 2014.

O.N. 35(E).—Whereas, Shri Krishna Kumar Ojha, a contesting candidate from 57-Kaiserganj Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh during Lok Sabha general election, 2014, had been disqualified under Section 10A of the Representation of People Act, 1951, for not filing account of election expenses, vide Commission's Order No.76/UP-HP/2014, dated 08.06.2015; and

Whereas, after receipt of the Commission's disqualification order dated 08.06.2015, Shri Krishna Kumar Ojha submitted a representation dated 29.06.2015 that he had sent by Registered Post his full and correct account of election expenses on 04.10.2014 to the District Election Officer, Gonda, and while submitting his accounts of election expenditure with an appeal under Section 11 of the aforesaid Act, for removal of disqualification imposed on him vide Commission's aforesaid order, he had also requested for personal hearing; and

Whereas, the Appellate Authority has heard Shri Krishna Kumar Ojha, in person on 04.08.2015 and 08.09.2015 in the Commission's Secretariat; and

Whereas, on hearing Shri Krishna Kumar Ojha, the Appellate Authority is satisfied that he has good reasons for his failure to lodge any account within the time and in the manner prescribed by law; and

Whereas, the Appellate Authority has decided to revoke disqualification imposed upon him vide aforesaid Order dated 08.06.2015 and has further decided to revoke it with effect from the date of issue of the disqualification order i.e. 08.06.2015; and

Now, therefore, the disqualification imposed upon Shri Krishna Kumar Ojha, contesting candidate vide Commission's Order 76/UP-HP/2014, dated 08.06.2015 is revoked with effect from the date of issue of the disqualification order i.e. 08.06.2015.

[No. 76/UP-HP/57/2014]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Principal Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.